**भारत सरकार**
**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**
**11.12.2024 के**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2589 का उत्तर**

**रेलवे में स्थायी कर्मचारी का दर्जा**

**2589. श्री शेर सिंह घुबाया:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या सरकार का विचार रेलवे में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने का है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और**

**(ग) देश में जोन-वार ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो वर्तमान में स्थायी नहीं हैं?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क) से (ग): भारतीय रेल में सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किए गए अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर स्थायी रेल कर्मचारी का दर्जा दिया जाता है। परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारियों के रूप में पदनामित किया जाता है। प्रशिक्षण, भर्ती और परिवीक्षा सतत प्रक्रियाएं हैं।**

*****

SK